न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. ......2/35/2022...... तारीख रजू...........................

सुमन **बनाम** कुलदीप वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1151, वाके ग्र्रम रौनीजाथान तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 27.02.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 27.02.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) पत्रावली दिनांक 27.2.22 को अवकाश होने पर आज पेश हुई। ......वकील प्रार्थी...................उपस्थित। अन्तरिम आदेश दिनांक......9.2.22 की पालना में पत्रावली वास्ते......तलबी रजि0 दिनांक......16.5.22..........को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्र. पढ़ा PO के लिए सहमति है निवेदन रीडर 1 लगा. 4	पत्रावली अधिकारी/[illegible] के नजदीक तारीख पेशी उपस्थित ना पर तलब होकर पेश हुई वकालात का नजदीक तारीख पेशी प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है पत्राव की ~~[illegible]~~ बाद 1 लगा. 4 की ओर से श्री [illegible] शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया आज ही [illegible] में 1 से 4 की ओर से राजीनामा भी पेश किया पत्रावली वास्ते जवाब 1 से 4 व 5 की तलबी दिनांक 16/5/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
16/5/22	[illegible] उपस्थित। सविक [illegible] निर्णय [illegible] की पालना में [illegible] जवाब व 5 की तलबी दिनांक 3/6/22 को पेश हो [illegible]	
3/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित अतः पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। अतः मूल वाद में अंतिम रूप से डिक्री किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अदम [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से बाद [illegible] मूल वाद के साथ शामिल रहे [illegible]। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	